न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 45 / 2024

प्रार्थीगण

1. जोगराज पुत्र टीकाराम, उम्र–40 साल
2. रामलाल पुत्र टीकाराम, उम्र 35 साल
3. टीकाराम पुत्र पोकराराम, उम्र 75 साल, जातियान–जाट निवासी डाबली नाडी, तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1. सताराम पुत्र मोटाराम, उम्र–70 साल
2. भलाराम पुत्र मोटाराम, उम्र–65 साल
3. गेबाराम पुत्र मोटाराम, उम्र–60 साल
4. सावलाराम पुत्र खुबाराम, उम्र 60 साल
5. बाबुलाल पुत्र खुबाराम, उम्र 55 साल
6. बुधाराम पुत्र खुबाराम उम्र 50 साल
7. सुरताराम पुत्र खुबाराम, उम्र 48 साल
8. हुआदेवी पत्नी खुबाराम, उम्र 75 साल, जातियान–प्रजापत
9. चेतनराम पुत्र मूलाराम, उम्र 47 साल
10. बाबूलाल पुत्र मूलाराम उम्र 50 साल
11. आंबाराम पुत्र मूलाराम, फौत के कायम मुकामः–

11/1–गोतमचन्द पुत्र आम्बाराम उम्र 35 साल,

11/2–भलसिंह पुत्र आम्बाराम, उम्र 33 साल, 11/3 चुकी पुत्री आम्बाराम

11/4–डाई देवी पत्नि आम्बाराम जातियान –मेगवाल, निवासी–डाबली नाडी, तहसील –सिणधरी

12. केशाराम पुत्र पेमाराम उम्र 75 साल, निवासी–पायलां कलां
13. नानजी पुत्र दानाराम, उम्र–50 साल
14. करनाराम पुत्र दानाराम, उम्र 47 साल
15. भारमलराम पुत्र दानाराम, उम्र 43 साल
16. ताराचन्द पुत्र दानाराम, उम्र 39 साल
17. ननूदे[illegible]नाराम, उम्र–72 साल
18. मोह[illegible] पु[illegible]राम उम्र–40 साल
19. फुसीदेवी [illegible]टाराग, उम्र–60 साल
20. [illegible] उम्र–70 साल
21. [illegible] दुर्गाराम, उम्र 65 साल
22. छोगाराम पुत्र दुर्गाराम, उम्र 62 साल जातियान–मेगवाल, निवासी–मंडावला, तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा
23. शाखा प्रबन्धक, S-B-I-J- शाखा–सिणधरी
24. शाखा प्रबन्धवः, R-M-G-B- शाखा–सड़ा
25. तहसीलदार–सिणधरी, जिला–बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:17:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री जोगराज पोटलिया, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 25 की ओर से उपस्थित।
3.शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 24.04.2025

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 661/297 क्षेत्रफल 7.3376 हैक्टर ग्राम डाबली नाडी पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 304 रकबा 5.2019 हैक्टयर, खसरा संख्या 300 रकबा 45.3768 हैक्टयर व खसरा संख्या 302/6 रकबा 3.9803 हैक्टयर ग्राम डाबली नाडी पटवार मण्डल पायला कला भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थीगण के उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थीगण भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम ग्राम डाबली नाडी पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 304 रकबा 5.2019 हैक्टयर, खसरा संख्या 300 रकबा 45.3768 हैक्टयर व खसरा संख्या 302/6 रकबा 3.9803 हैक्टयर भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 से 24 को सुनवाई हेतु पर्याप्त असवर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं [illegible] उनके विरूद्व एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 25 की ओर से राज.[illegible] नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तहसीलदार [illegible] तलब की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:17:16 IST
Reason: SelfAttested

3.उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 661/297 क्षेत्रफल 7.3376 हैक्टर ग्राम डाबली नाडी पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 304 रकबा 5.2019 हैक्टयर, खसरा संख्या 300 रकबा 45.3768 हैक्टयर व खसरा संख्या 302/6 रकबा 3.9803 हैक्टयर ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

डाबली नाडी पटवार मण्डल पायला कला भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थीगण की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थीगण भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्ध कर देते है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी जोत से आवागमन हेतु निकटतम विकल्प के रूप में खसरा संख्या 304 रकबा 5.2019 हैक्टयर, खसरा संख्या 300 रकबा 45.3768 हैक्टयर व खसरा संख्या 302/6 रकबा 3.9803 हैक्टयर ग्राम डाबली नाडी पटवार मण्डल पायला कला में रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

4.विप्रार्थी संख्या 25 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 661/297 क्षेत्रफल 7.3376 हैक्टर ग्राम डाबली नाडी पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी से सड़क मार्ग के मध्य विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 304 रकबा 5.2019 हैक्टयर, खसरा संख्या 300 रकबा 45.3768 हैक्टयर व खसरा संख्या 302/6 रकबा 3.9803 हैक्टयर ग्राम डाबली नाडी पटवार मण्डल पायला कला में से नया रास्ता को स्वीकृत करनें तहसीलदार सिणधरी अपनी अभिशंषा सहित मौका जांच कर रिर्पोर्ट पत्र कमांक 973/24.04.2025 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि मौजा डाबली नाडी पटवार मण्डल पायला खुर्द की खसरा संख्या 661/297 में पहुचनें के लिए ग्राम डाबली नाडी पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 304 रकबा 5.2019 हैक्टयर, खसरा संख्या 300 रकबा 45.3768 हैक्टयर व खसरा संख्या 302/6 रकबा 3.9803 हैक्टयर में से होकर गुजरना पड़ता है और इसके अलावा कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेतों में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। विप्रार्थी संख्या 01 व 24 को न्यायालय से जरियें रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी किया गया था। विप्रार्थीगण के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 से 24 को सुनवाई हेतु पर्याप्त असवर दिये जाने के उपरांत भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:17:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 25 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थीगण, प्रार्थी द्वारा चाही गई इस्तदुआ से भली–भांली जानकार है तथा जानबूझकर प्रकरण में निस्तारण हेतु स्वयं उपस्थित नहीं हो रहे अथवा प्रार्थी की इस्तदुआ से सहमत है। परन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रमाणित है कि प्रस्तावित रास्तें के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता भी नहीं है इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 300 में लम्बाई 140 मीटर एवं चौड़ाई 06 मीटर रकबा 0.0840 हैक्टयर, खसरा संख्या 302/6 में लम्बाई 160 मीटर एवं चौड़ाई 06 मीटर रकबा 0.0960 हैक्टयर तथा खसरा संख्या 304 में लम्बाई 120 मीटर एवं चौड़ाई 06 मीटर रकबा 0.0720 हैक्टयर भूमि का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर अंसिचित सड़क के पास राशि–482000/– रूपयें प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थीगण से दिलवाने जाने का प्रावधान है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी रास्ता पाने के हकदार है।

6.लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम डाबली नाडी पटवार मण्डल पायलां कला के खसरा संख्या 300 में लम्बाई 140 मीटर एवं चौड़ाई 06 मीटर रकबा 0.0840 हैक्टयर, खसरा संख्या 302/6 में लम्बाई 160 मीटर एवं चौड़ाई 06 मीटर रकबा 0.0960 हैक्टयर तथा खसरा संख्या 304 में लम्बाई 120 मीटर एवं चौड़ाई 06 मीटर रकबा 0.0720 हैक्टयर तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में बरंग हरा कलर ——दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को विप्रार्थीगणों को क्षतिपूर्ति की गणना कर भुगतान हेतु तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है।तहसीलदार सिणधरी के पत्र क्रमांकःभू.अ./2024/973 दिनांक 24.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified

(... आशिया)

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 24.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:17:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी